राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : अपील संख्या : 632, 633, 634 व 635/2014 जिला : जयपुर.........

उनवान मैसर्स आर.पी.पारकॉन प्रा.लि.द्वारकापुरी,जमानालाल बजाज मार्ग,सी–स्कीम,जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर.अधिकारी, प्रतिकरापवचंन,वार्ड–तृतीय,जोन द्वितीय,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.09.2014	खण्डपीठ श्री सुनील शर्मा,सदस्य श्री मनोहर पुरी,सदस्य अपीलार्थी के ओर से श्री डी.कुमार,अभिभाषक एवंएवं विभाग की ओर से श्री रामकरण सिंह, उप राजकीय अभिभाषक उपस्थित। उपरोक्त चारों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक–पृथक आदेश दिनांक 1104.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003(जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर.अधिकारी, प्रतिकरापवचंन, वार्ड–तृतीय,जोन द्वितीय,जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 26, 55 एवं 61 के तहत् निर्धारण वर्ष 2007–08,2008–90, 2009–10 एवं 2010–11 के लिये पारित पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.02.2014 में कायम मांग राशियों क्रमशः रू. 42,79,235/–, 1,11,99,496/–, 33,90,294/–व 20,01,638/– में से रू. 35,00,000/–,1,00,14,000/–रू. 27,88,000/–व 16,62,00/–की वसूली पर स्थगन प्रदान किया गया है, किन्तु अपीलार्थी की ओर से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कायम की गई सम्पूर्ण राशियों पर स्थगन प्रदान करने का निवेदन किया गया है। उभय पक्षीय की बहस सुनी तथा अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का अवलोकन किया गया। अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.06.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश में कायम मांग राशियों क्रमशः रू. 42,79,235/–, 1,11,99,496/–, 33,90,294/–व 20,01,638/– में से रू. 35,00,000/–,1,00,14,000/–रू. 27,88,000/–व 16,62,00/–की वसूली पर स्थगन प्रदान पर अवशेष राशियों पर रोक नहीं लगाने के सम्बन्ध में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया है। अतः प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आवेदित राशियों के स्थगन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशियों की वसूली बाबत, अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर उक्त मांग राशि की वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। निर्णय सुनाया गया । (मनोहर पुरी) सदस्य (सुनील शर्मा) सदस्य	